

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3735/2020

मांगीलाल आसवानी पुत्र जयनारायण, उम्र करीब 51 साल, वार्ड नंबर 6, मोची मौहल्ला,
तारानगर, चूरू राज.

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, शिक्षा (माध्यमिक), राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर (राज.)
3. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (राज.)।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : सुश्री वर्षा बिस्सा

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री सरवन कुमार, एजीसी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

24/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 17.06.2019 के आदेश (अनुलग्नक 11) से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि उसे वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के तहत उसकी योग्यता के अनुसार पदोन्नत किया गया था। हालाँकि, याचिकाकर्ता वास्तव में वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के तहत पदोन्नति के लिए पात्र था। इसके अलावा, वह वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के तहत अपनी पदोन्नति पर विचार करने के लिए एक नई समीक्षा डीपीसी आयोजित करने की मांग करता है।

2. संक्षेप में कहें तो याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1985 में अनुलग्नक 1 के तहत शिक्षक ग्रेड-III के पद पर नियुक्त किया गया था। दिनांक 23.03.2015 के आदेश (अनुलग्नक 4) के तहत प्रतिवादी ने समान स्थिति वाले उम्मीदवारों को पदोन्नत किया, जिसमें श्री राम लाल मीना भी

शामिल थे, जो याचिकाकर्ता से जूनियर थे। इसके बाद याचिकाकर्ता ने उपरोक्त शिकायत के संबंध में दिनांक 13.09.2015 में एक अभ्यावेदन (अनुलग्नक 5) प्रस्तुत किया, जिसका विभाग द्वारा समाधान नहीं किया गया।

2.1 दिनांक 05.08.2015 के आदेश (अनुलग्नक 6) के तहत प्रतिवादियों ने एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें विभाग ने अभ्यर्थियों को शिक्षक ग्रेड II के पद पर पदोन्नति के लिए अपने नामांकन, अतिरिक्त योग्यता और अन्य संशोधनों में गलतियों को सुधारने का अंतिम अवसर दिया। इसके अनुसरण में याचिकाकर्ता ने पुनः दिनांक 24.08.2015 को समीक्षा डीपीसी में अपना नाम शामिल करने और वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति प्रदान करने के लिए एक अभ्यावेदन (अनुलग्नक 7) प्रस्तुत किया। इस अभ्यावेदन पर प्रतिवादियों द्वारा विचार नहीं किया गया और दिनांक 30.11.2015 के आदेश (अनुलग्नक 9) के तहत याचिकाकर्ता का नाम शामिल किए बिना ही आगे की पदोन्नतियां कर दी गईं।

2.2 तत्पश्चात, दिनांक 17.07.2016 के आदेश (अनुलग्नक 10) के तहत याचिकाकर्ता को वर्ष 2013-14 के स्थान पर वर्ष 2016-17 की रिक्तियों पर पदोन्नत कर दिया गया। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने एक अन्य अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसके क्रम में दिनांक 17.06.2019 के आदेश (अनुलग्नक 11) के तहत प्रतिवादी विभाग ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता की पदोन्नति उसकी वरिष्ठता के अनुसार की गई है। अतः यह याचिका।

3. प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में दिया गया बचाव यह है कि प्रत्येक स्तर पर अभ्यर्थी की उन्नत योग्यता दर्ज करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। सबसे पहले, उच्च योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करते हैं, जो इसे संबंधित संभाग के संयुक्त निदेशक को अग्रेषित करते हैं। संयुक्त निदेशक सत्यापन के पश्चात राज्य स्तर पर सेवा अभिलेख में प्रविष्टि करने हेतु अध्याचन भेजते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। जहां तक स्कूल व्याख्याता के पद का प्रश्न है, इसकी अंतिम वरिष्ठता सूची राज्य स्तर पर जारी की जाती है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने पैरा-9 में स्वयं दावा किया है कि उसकी अतिरिक्त योग्यता को जोन स्तर पर दिनांक 25.8.2015 के आदेश द्वारा तथा राज्य स्तर पर दिनांक 30.9.2015 के आदेश द्वारा सूची में सम्मिलित किया गया था। अतः यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के राज्य स्तर पर सेवा अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टि दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की निर्धारित तिथि के काफी पश्चात 30.9.2015 को की गई थी, अतः रिक्ति वर्ष 2015-16 के लिए नियमित विभागीय

पदोन्नति समिति द्वारा याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जा सका। हालांकि, याचिकाकर्ता की अतिरिक्त योग्यता को राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में दर्ज करने के आदेश के बाद उसे वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के तहत स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नत कर दिया गया।

3.1 याचिकाकर्ता के पास सेवा लाभों से संबंधित अपनी शिकायतों के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामले अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1976 के तहत विद्वान राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने का वैधानिक उपाय है। हालांकि, इस उपाय का लाभ उठाए बिना, उसने सीधे इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इसलिए, याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है, और याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा विचार करने के पश्चात, मैं यह मानने के लिए बाध्य हूं कि प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में पूर्णतः झूठा बचाव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता को उसके समकक्षों के साथ पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अवसर से वंचित किया गया है, इस स्पष्ट आधार पर कि उसके पास अपेक्षित डिग्री नहीं है।

5. जहां तक प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए विवाद का संबंध है कि याचिकाकर्ता के पास पदोन्नति के लिए पात्र होने के लिए अपेक्षित योग्यता डिग्री एम.ए. नहीं है, तो उक्त विवाद का खंडन जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चूरू के कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 27.02.2001 के कार्यालय आदेश (अनुलग्नक 2) द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को क्रमांक 19 में शामिल किया है तथा उसकी योग्यता का उल्लेख किया है। विभाग द्वारा स्वयं स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसके पास इतिहास में एम.ए. की डिग्री है।

6. रिट याचिका में संलग्न आधिकारिक दस्तावेज के आलोक में, जिसे प्रतिवादियों द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि याचिकाकर्ता के पास 27.02.2001 तक इतिहास में एम.ए. की वैध डिग्री थी। डी.पी.सी. वर्ष 2015 में बहुत बाद में आयोजित की गई थी, और मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता, जिसके पास उस तिथि से बहुत पहले अपेक्षित योग्यता शिक्षा थी और प्रतिवादियों के ज्ञान में थी, को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, जैसे कि उसके समकक्षों को योग्य माना गया और डी.पी.सी. में भाग लेने की अनुमति दी गई, जबकि याचिकाकर्ता को इस आधार पर शत्रुतापूर्ण भेदभाव का सामना करना पड़ा कि उसके पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी।

7. इसलिए, केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता ने डिग्री पेश नहीं की, हालांकि उसे ऐसा करने के लिए कहा भी नहीं गया था उसके साथ उसके समकक्षों से असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता, जिन्हें उसके मामले पर विचार किए बिना पदोन्नत किया गया था। इस प्रकार उसे बिना किसी गलती के शत्रुतापूर्ण भेदभाव का सामना करना पड़ा।
8. परिणामस्वरूप, मेरा विचार है कि दिनांक 17.06.2019 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 11) संधारणीय नहीं है। इसे अपास्त किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से तीन महीने की अवधि के भीतर समीक्षा डीपीसी का गठन करके याचिकाकर्ता की एम.ए. (इतिहास) डिग्री पर विचार करके उसके समकक्षों के समान पदोन्नति के मामले पर विचार करें और उसे इससे उत्पन्न होने वाले सभी आभासी लाभ प्रदान करें।
9. जिस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता ने पदोन्नति वाले पद पर काम नहीं किया, जबकि उसके समकक्षों को उससे पहले पदोन्नत किया गया था, वह 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत पर किसी भी वित्तीय लाभ का हकदार नहीं होगा, क्योंकि उसने ऐसे पद पर काम किया था जो उसके समकक्षों से एक रैंक नीचे था।
10. उपरोक्त शर्तों के तहत रिट याचिका स्वीकार की जाती है।
11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।